

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
हरडा	248	रणजीत सिंह पुत्र लाकर सिंह 55 जाति राजपूत 492	578	6.15	रणजीत सिंह पुत्र लाकर सिंह 55 जाति राजपूत 369	578	6.15
		रणजीत सिंह पुत्र लाकर सिंह 55 जाति राजपूत 1476					

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

965
12.11.21

प्रतिलिपि पालनाथ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनाथ :-

1. पटवार हन्का ER 54 को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हा ता निगयानुस-
पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर